न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड , आर.ए.एस.

मुकदमां नम्बर :–51/2019 निर्णय दिनांक :– 12.02.2020

1. दानाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी खानपुर
2. छिगनाराम पुत्र उगमाराम जाति जाट निवासी खानपुर
3. रिकब रिणवा पुत्र उगमाराम जाति जाट निवासी खानपुर

.....वादीगण

बनाम

1. सुरेखा कंवर राठौड पत्नी जगतसिंह जाति राजपूत निवासी खानपुर हाल जगत पेलेस अजमेर रोड पुष्कर।
2. चान्दसिंह राठौड़ पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी खानपुर हाल मकान नं. 135 साजन लैला विहार कॉलोनी नन्दरी जोधपुर
3. राजेन्द्रसिंह राठौड़ पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी खानपुर हाल 22/19 हाई हाउस वैशाली नगर अजमेर।
4. तहसीलदार परबतसर

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– घोषणा, दुरूस्ती रेकर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री गोपालराम पुनियां अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गोपालराम पुनियां ने यह वाद पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम खानपुर के खसरा नम्बर 212 रकबा 1.29 हैक्टयर, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.06 हैक्टयर गै.मु. बेरा आई हुई है। वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के उक्त जमीन रेकर्डेड खातेदार स्व. जगतसिंह, राजेन्द्रसिंह व चांदसिंह पिता उम्मेदसिंह निवासी खानपुर से उनके हिस्से अनुसार अर्थात चांदसिंह पुत्र उम्मेदसिंह प्रतिवादी 2 का सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा, राजेन्द्रसिंह प्रतिवादी 2 का 1/4 हिस्सा तथा स्वर्गीय जगतसिह का 1/2 हिस्सा वादीगण दानाराम पुत्र भूराराम ने 1/2 हिस्सा, छीगनाराम पुत्र उगमाराम ने 124 हिस्सा तथा रिकब रिणवां पुत्र उगमाराम ने 1/4 हिस्सा क्रय किया था जिसका विधिवत विक्रय विलेख उप पंजीयक कार्यालय पीलवा में अपने पक्ष में पंजीकृत करवाया गया था। वादीगण ने विक्रय विलेख की प्रति नामान्तकरण दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का झालरा को दी थी जिसके बाद बार बार पटवारी हल्का नामान्तकरण दर्ज करने का आश्वासन दिलाता रहा लेकिन नामान्तकरण दर्ज नहीं किया। इसी दौरान वादीगण को विक्रेता जगतसिंह का स्वर्गवास हो गया व उनके स्थान पर उनकी पत्नी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम जरिये फौतगी नामान्तकरण दर्ज हो गया। वादीगण ने अभी पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने नामान्तकरण करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया था न्यायालय में वाद पेश करने कहां जिससे वादीगण को मजबुरन यह वाद पेश करना पड़ रहा है। वादीगण ने वाद पेश कर ग्राम खानपुर

12/2/2020
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 212 रकबा 1.29 हैक्टयर, एवं खसरा नम्बर 214 रकबा 0.06 हैक्टयर भूमि विक्रय विलेख दिनांक 18.02.2018 के अनुसार क्रय सुदा भूमि की खातेदारी में नाम दर्ज करने व जगतसिंह का फौतेदगी नामान्तकरण से जो इन्द्राज किया गया उसके हटाये जाने की इस्तदुआ की है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 ने दिनांक 30.07.2019 को जरिये अधिवक्ता श्री भवानीसिंह उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया, जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी 2, 3 के सम्मन उनके स्थाई पूर्ण पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जाने बाद 3 माह से अधिक समय से अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी 4 राजहित निहित नहीं होने से जवाब पेश नहीं करना चाहे जाने पर जवाब बन्द किया गया। साक्ष्य वादी में वादी छीगनाराम, दानाराम एवं गवाह ओमप्रकाश, चेनाराम के शपथ पत्र पेश किये और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई।

3. वादीगण के वाद पर अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया।

4. वादीगण ने वाद के साथ ग्राम खानपुर की जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 पेश की हैं जिसमें खसरा नम्बर 126, 212, 311, 313, 314, 668 कुल रकबा 13.78 हैक्टयर भूमि चांदसिंह पुत्र उम्मेदसिंह 1/4 हिस्सा, राजेन्द्रसिंह पुत्र उम्मेदसिंह 1/4 हिस्सा, तथा सुरेखा कंवर पत्नी जगतसिंह 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हैं तथा खसरा नम्बर 214 रकबा 0.06 हैक्टयर गै.मु. कुआ जिसमें उम्मेदसिंह का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादीगण ने बैचान दस्तावेज की प्रति पेश की है जिसके अनुसार खातेदार जगतसिंह, राजेन्द्रसिंह चांदसिंह पि. उम्मेदसिंह ने ग्राम खानपुर के खसरा नम्बर 212 रकबा रकबा 1.29 हैक्टयर, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.06 हैक्टयर गै.मु. बेरा व उसमें विधुत कनेक्शन सहित अपना सम्पूर्ण हिस्सा का बैचान जिसमें वादी दानाराम पुत्र भूराराम को 1/2 हिस्सा, छिगनाराम पुत्र उगमाराम को 1/4 हिस्सा का एवं रिकब रिणवा पुत्र उगमाराम को 1/4 हिस्सा बैचान किया गया है। उक्त बैचान के समर्थन में प्रतिवादी 1 सुरेखा कंवर ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर स्वीकार किया हैं कि मेरे पति द्वारा किये गये बैचान की मुझे जानकारी नहीं थी बैचान देखने पर जानकारी हुई हैं, जानकारी नहीं होने से मेरे पति के स्वर्गवास के बाद मेने फौतगी नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया था उक्त भूमि बैचान मेरे पति द्वारा अपने जीवनकाल में ही वादीगण को कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था मेरा इस भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है न ही आज दिन मेरा कब्जा काश्त है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाह चेनाराम व ओमप्रकाश ने अपनी साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र में बताया हैं कि हम विवादित भूमि के सीवा जोड़ पडौसी हैं तथा भूमि एवं विक्रता एवं खरीददारो को जानते हैं उक्त भूमि का बैचान प्रतिवादी 2, 3 एवं 1 पति जगतसिह द्वारा वादीगण को किया गया था जिसके बाद से उक्त भूमि पर वादीगण काबिज काश्त है। जहां तक खसरा नम्बर 214 रकबा 0.06 हैक्टयर भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

से प्रतिवादीगण 2, 3 व 1 के पति द्वारा सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का बेचान किये जाने का प्रश्न है जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबन्दी में आज भी प्रतिवादी 1 के ससुर व प्रतिवादी 2, 3 के पिता उम्मेदसिंह पुत्र समन्दरसिंह का 1/4 हिस्से में नाम दर्ज चला आ रहा है इस भूमि के सम्बन्ध में फौतगी नामान्तकरण दर्ज होकर प्रतिवादीगण 1 के पति व प्रतिवादी 2, 3 की खातेदारी कभी दर्ज नहीं रही है तो इस भूमि का प्रतिवादी 1 के पति व प्रतिवादी 2, 3 ने अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान किस प्रकार किया है, खातेदारी आज भी उम्मेद सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है, बिना खातेदारी के प्रतिवादी 1 के पति एवं प्रतिवादी 2 व 3 द्वारा भूमि का बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था। किसी भी भूमि को कानून खातेदार को ही बेचान करने का अधिकार है, जिससे खसरा नम्बर 214 रकबा 0.06 हैक्टयर में से प्रतिवादीगण को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था खसरा नम्बर 212 रकबा 1.29 हैक्टयर भूमि वादीगण की खरीद सुदा भूमि हैं जिसकी पुष्टि बैचान दस्तावेज की प्रति से होती हैं जिसको प्रतिवादी 1 ने राजीनामा पेश कर स्वीकार किया हैं जो वादीगण को विक्रेता जगतसिह की पत्नी हैं। जिससे स्पष्ट होता हैं कि उक्त विवादित आराजीयत में खसरा नम्बर 212 रकबा 1.29 हैक्टयर भूमि वादीगण की खरीद सुदा भूमि हैं तथा बैचान का नामान्तकरण दर्ज होने से पूर्व ही प्रतिवादी 1 का पति फौत होने से उसके स्थान पर फौतगी नामान्तकरण दर्ज हो गया था जिससे वादीगण के उक्त बैचान का राजस्व रिकार्ड में अमल नही हुआ है। जिससे वादीगण का वाद खसरा नम्बर 214 रकबा 0.06 गै.मु. कुए की हद तक खारिज किया जाकर खसरा नम्बर 212 रकबा 1.29 हैक्टयर की हद तक वादीगण का वाद सावित होता है। जिससे वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद खातेदारी घोषणा व दुरूस्ती रेकर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम खानपुर के खसरा नम्बर 212 रकबा 1.29 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी 1 से 3 का नाम हटाया जाकर उनके स्थान पर 1/2 हिस्सा वादी संख्या 1 को तथा 1/4 हिस्से का वादी संख्या 2 को एवं 1/4 हिस्सा वादी संख्या 3 की खातेदारी में घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 214 रकबा 0.06 हैक्टयर गै.मु. कुए की हद तक वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। तदनुसार वादीगण की खातेदारी में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। यह आदेश आज दिनांक12.02.2020 को सारे इजलास सुनाया गया।

12/2/2020

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमां इब्ताहाई (ओ. 20 रूल 6–7 दीवानी)

अदालतः– **उपखण्ड अधिकारी परबतसर , जिला नागौर, राज.**

अज अदालत :– मुकेश कुमार मूंड , आर.ए.एस.

1. दानाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी खानपुर
2. छिगनाराम पुत्र उगमाराम जाति जाट निवासी खानपुर
3. रिकब रिणवा पुत्र उगमाराम जाति जाट निवासी खानपुर

बनाम .....वादीगण

1. सुरेखा कंवर राठौड पत्नी जगतसिंह जाति राजपूत निवासी खानपुर हाल जगत पेलेस अजमेर रोड़ पुष्कर।
2. चान्दसिंह राठौड़ पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी खानपुर हाल मकान नं. 135 साजन लेला विहार कॉलोनी नन्दरी जोधपुर
3. राजेन्द्रसिंह राठौड़ पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी खानपुर हाल 22/19 हाई हाउस वैशाली नगर अजमेर।
4. तहसीलदार परबतसर

.....प्रतिवादीगण

मुकदमां नम्बर :– 51/2019

निर्णय दिनांक :– 12.02.2020

इनीफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री गोपालराम पुनिया अधिवक्ता वादीगण को डिक्री दी जाती हैं कि :–

वादीगण का वाद खातेदारी घोषणा व दुरूस्ती रेकर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम खानपुर के खसरा नम्बर 212 रकबा 1.29 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी 1 से 3 का नाम हटाया जाकर उनके स्थान पर 1/2 हिस्सा वादी संख्या 1 को तथा 1/4 हिस्से का वादी संख्या 2 को एवं 1/4 हिस्सा वादी संख्या 3 की खातेदारी में घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 214 रकबा 0.06 हैक्टयर गै.मु. कुए की हद तक वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। तदनुसार वादीगण की खातेदारी में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.02.2020 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

12/2/2020
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner